

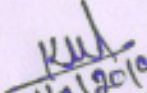
प्रमाण पत्र

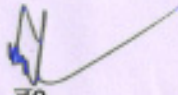
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित भूमि के स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र

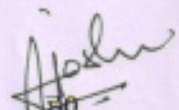
प्रमाणित किया जाता है कि चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण मोटर मार्ग के नव निर्माण में आ रही वन भूमि 1.5225 हे० के दोगुने क्षेत्रफल 3.045 हे० सिविल सोयम भूमि जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नियमानुसार निर्धारित की गई है। यह भूमि वर्तमान में राजस्व विभाग के कब्जे में है एवं विवादरहित है। उक्त भूमि वन भूमि के सैद्धान्तिक स्वीकृति के प्राप्त होने के उपरान्त वन विभाग को हस्तान्तरित एवं नामांतरित कर दी जायेगी।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:

ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल
बगोडी	2979	5.008 हे०
योग-		5.008 हे० में से 3.045 हे०


11/1/2019
ह०
राजस्व उपनिरिक्षक


ह०
सहसचिव,
चिन्यालीसौड़।


ह०
उपजिलाधिकारी

